

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध स्वास्थ्य डेव्हलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/11/2021	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट “लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में भूखण्ड डेव्हलपमेंट करने हेतु छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा-3 के परिप्रेक्ष्य धारा-4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क छत्तीसगढ़ रेरा में जमा कराना अनिवार्य है। उक्ताशय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-3/रेरा/2018, दिनांक 28/03/2018, क्रमांक-14/रेरा/2018, दिनांक 27/07/2018 एवं आदेश क्रमांक-10/रेरा/2019, दिनांक 10/01/2019 आदेश क्रमांक-11/रेरा/2019, दिनांक 10/01/2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे, जो कि प्राधिकरण के वेबसाइट पर सहज उपलब्ध है।</p> <p>– परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में पंजीयन हेतु आवश्यक समस्त अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-3 (1) एवं 11 (2) का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 22.09.2021 को अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। उन्हें ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया गया।</p> <p>– अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि अनावेदक द्वारा फर्म स्वास्थ्य डेव्हलपर्स में दिनांक 23.03.2016 को ग्राम-परसदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित प्रोजेक्ट “लोटस सिटी फेस-1” में मैक्स डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्री अरुण कुमार सिंघानिया, पिता-श्री विरदीचंद सिंघानिया एवं अन्य से कुल 81</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध स्वास्थ्य डेव्हलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>भूखण्ड को क्रय कर रजिस्ट्री कराई गई थी। उक्त 81 भूखण्डों में से अनावेदक फर्म द्वारा अलग-अलग क्रेताओं को विक्रय कर 78 भूखण्डों की रजिस्ट्री करा दी गई है। अनावेदक द्वारा 78 भूखण्डों को वर्ष 2017 में 26 भूखण्ड की रजिस्ट्री, वर्ष 2018 में 25 भूखण्ड की रजिस्ट्री, वर्ष 2019 में 15 भूखण्ड की रजिस्ट्री एवं वर्ष 2020 में 12 भूखण्ड की रजिस्ट्री कर दी गई थी। अनावेदक ने बताया है कि विवादित प्रोजेक्ट “लोटस सिटी फेस-1” के मूल स्वामी मैक्स डेव्हलपर्स है, जिसने छ.ग. रेरा से रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर PCGRERA030921001258 लिया था। अनावेदक के अनुसार यदि भविष्य में अनावेदक और क्रेताओं के मध्य रेरा अधिनियम के नियम व शर्तों के अंतर्गत कोई वाद-विवाद होता है, तो उसका निराकरण अनावेदक द्वारा आपसी सहमति से कर लिया जावेगा। अतः अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन को वापस करने का अनुरोध किया है।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। हाँलाकि अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से दिनांक 30.05.2018 को पंजीयन शुल्क रुपये 47,390/- का भुगतान किया है। परन्तु अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज – रेरा विनिर्दिष्ट खाता विवरण, नान इनकम्ब्रेन्स प्रमाण पत्र, सर्च रिपोर्ट, अक्षांश एवं देशांश की जानकारी, Annexure-2,3,4,5, वर्क प्लान आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। अनावेदक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र में बल्क निवेशक-प्रमोटर के रूप में 81 भूखण्डों को क्रय करने का उल्लेख करते हुये वर्ष 2017, 2018, 2019 व वर्ष 2020 में 78 क्रेताओं/आबंटितियों को विक्रय करने का भी लेख किया है। प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रमोटर-निवेशक श्रेणी के प्रमोटर्स के पंजीयन हेतु अपने परिपत्र क्रमांक-7, दिनांक 11.05.2018, परिपत्र क्रमांक-10, दिनांक</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध स्वास्थ्य डेवलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>22.05.2018 तथा परिपत्र क्रमांक-38, दिनांक 24.12.2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अनावेदक द्वारा उक्त परिपत्रों अनुसार पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कराये बगैर ही भूखण्डों का विक्रय किया गया है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 तथा उक्त संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों तथा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर क्रमशः अधिनियम की धारा-59 में प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत तक की शास्ति व 3 वर्ष की कारावास तथा धारा-63 में प्रोजेक्ट लागत की 5 प्रतिशत की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु जमा राशि को राजसात करते हुये अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि अनावेदक विवादित प्रोजेक्ट में प्रमोटर-निवेशक है और मूल प्रमोटर द्वारा त्रैमासिक अद्यतन करते हुये विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है; अतः विवादित प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। हाँलाकि अनावेदक ने भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। परन्तु प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अनावेदक को भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दिया जाना भी उचित होगा।</p> <p>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु जमा राशि को राजसात करते हुये अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाता है। 2) अनावेदक को यह चेतावनी दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कठोर कार्यवाही की 	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध स्वास्थ्य डेव्हलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>जावेगी।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे। <p>सही / - (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p>सही / - (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध स्वास्तिक डेव्हलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 256

SM-PRO-2021-001515

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध स्वास्तिक डेव्हलपर्स, पता-गोपाल दाल मिल बिल्डिंग,
रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-“लोटस सिटी फेस-1” परसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--